पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 53/2015

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र रामप्रताप कौम महीपाल सा0 भादरा।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र धनपत कौम जाट सा0 पटवा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा वाद भूमि चक 8 बारानी के खाता सं0 257/12 के मु0नं0 147 के किला नं0 11/1, 20/1, 21/1 की कुल 0.4560 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुशील कुमार के हिस्सा की 0.228 है0 व प्रतिवादी सं0 2 राजेन्द्र कुमार के हिस्सा की 0.116 है0 खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.3.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 53/2015

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. सुशील कुमार पुत्र रामप्रताप कौम महीपाल सा0 भादरा।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र धनपत कौम जाट सा0 पंटवा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : पेरोकार राज : **वादी**
निर्णय **दिनांक :**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 बारानी के खाता सं0 257/12 मु0नं0 147 तादादी 0.456 है0 भूमि वर्तमान में सुशील कुमार पुत्र रामप्रताप कौम महीपाल साकिन भादरा व राजेन्द्र कुमार पुत्र धनपत कौम जाट साकिन पटवा के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये मकानों का निर्माण व अवैध प्लोटिंग का कार्य किय जा रहा है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादी द्वारा मु0नं0 147 की कुल 0.456 है0 भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील हो चुकी है, प्रतिवादीगण को बार बार आवाज लगाई गई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरोकार राज की ओर से सुनी गई। पेरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। खातेदार द्वारा वाद भूमि में कृषि जोत से भिन्न कार्य कर जोत का स्वरूप नष्ट कर दिया है। कृषि भूमि को कृषि कार्य से भिन्न उपयोग के लिए विधि के अनुसार सरकार द्वारा नियम

बनाये गये है। कृषि भूमि को अकृषि उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन नियम 2007) वर्तमान में विद्यमान है लेकिन खातेदार कृषक द्वारा विधि के विरूद्ध निर्माण व प्लोटिंक का कार्य किया जा रहा है जो गैरकानूनी है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी सुशील कुमार व राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका से ये साबित है कि भू अभिधारी प्रतिवादी सुशील कुमार व राजेन्द्र कुमार ने कृषि भूमि के रकबा 0.456 है0 का मकान निर्माण व प्लोटिंग का कार्य बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिर्वतन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अत : अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। चूंकि प्रतिवादी बाद सम्मन तामील उपस्थित नहीं आया है न ही कोई जबाब पेश किया है। दूसरी तरफ वादी अपने पक्ष को साबित करने में सफल रहा है व प्रतिवादीगण वाद भूमि चक 8 बारानी के खाता सं0 257/12 की 0.456 है0 के खातेदार काश्तकार है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद भूमि चक 8 बारानी के खाता सं0 257/12 के मु0नं0 147 के किला नं0 11/1, 20/1, 21/1 की कुल 0.4560 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुशील कुमार के हिस्सा की 0.228 है0 व प्रतिवादी सं0 2 राजेन्द्र कुमार के हिस्सा की 0.116 है0 खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ